

✓ई-मेल/  
फैक्सबिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
जहानाबाद, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण,  
गया, वैशाली एवं सारण।

विषय :-

पटना-15 दिनांक-05-08-16  
मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व-104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0002-हाट बाजार कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701-लघु कार्य मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 1,55,00,000/- (एक करोड़ पचपन लाख) रुपये मात्र का आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-541(9)/रा0 दिनांक-03.08.2016 के आलोक में राज्य के प्रमुख श्रावणी मेला, पितृपक्ष मेला एवं अनंत चतुदर्शी मेला के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित स्वीकृत राशि कुल 1,55,00,000/- (एक करोड़ पचपन लाख) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	वाणावर श्रावणी मेला एवं अनंत चतुदर्शी मेला जहानाबाद, 2016 एवं वर्ष 2015-16 की बकाया राशि रूपया 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) सहित।	33,00,000/- (तेतीस लाख)	33,00,000/- (तेतीस लाख)
2	श्रावणी मेला भागलपुर, 2016 अतिरिक्त राशि।	25,00,000/- (पच्चीस लाख)	25,00,000/- (पच्चीस लाख)
3	श्रावणी मेला, पूर्वी चम्पारण, 2016 अतिरिक्त राशि।	10,00,000/- (दस लाख)	10,00,000/- (दस लाख)
4	पितृपक्ष मेला, गया, 2016	80,00,000/- (अस्सी लाख)	80,00,000/- (अस्सी लाख)
5	श्रावणी मेला, हाजीपुर (वैशाली), 2016	3,00,000/- (तीन लाख)	3,00,000/- (तीन लाख)
6	श्रावणी मेला, पहलेजाघाट, सोनपुर, सारण, 2016	4,00,000/- (चार लाख)	4,00,000/- (चार लाख)
	कुल	1,55,00,000/- (एक करोड़ पचपन लाख)	1,55,00,000/- (एक करोड़ पचपन लाख)

- उपर्युक्त राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जाएगी।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 (वि0)(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर माँग संख्या इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।
7. आवंटित राशि की निकासी के बाद इसका व्यय राजस्व विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित पदाधिकारी समाहर्ता/ अपर समाहर्ता/ सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्ता/अंचल पदाधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी।

विश्वासमाजन,  
  
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।